

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 18/2016/ प्रा. पत्र माध्यस्थम्

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. हीरालाल (मृत) पुत्र लूणाराम | समस्त जाति जाट, निवासीगण शिश्यूं, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) |
| 1.1 बनवारी पुत्र लूणाराम | |
| 1.2 सीताराम पुत्र लूणाराम | |
| 1.3 सुखाराम पुत्र लूणाराम | |
| 1.4 जगदीश पुत्र लूणाराम | |
| 1.5 सरदार पुत्र लूणाराम | |
| 1.6 सन्तुराम पुत्र लूणाराम | |
| 1.7 शंकर पुत्र लूणाराम | |
| 1.8 विमला पुत्री लूणाराम | |
| 1.9 रामेश्वरी पुत्री लूणाराम | |
| 2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मंगलाराम | |

प्रार्थीगण/अपीलांटस्

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 रींगस सीकर खण्ड मुख्य विनायक विहार, झुन्झुनूं बाईपास, सीकर।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी (अपर जिला कलक्टर सीकर) भूमि अवाप्ति एनएच 11 रींगस सीकर खण्ड।

अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्टस्

उपस्थित:-

- (1) श्री दिनेश मंडीवाल, वकील अपीलान्टस् की ओर से।
- (2) श्री कमलेन्द्र सिहाग, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश दिनांक 23.01.2013 द्वारा

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) सीकर


निर्णय

सुनवाई तिथि: 22 फरवरी, 2018

निर्णय दिनांक: 20 मार्च, 2018

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हीरालाल पुत्र लूणाराम जाति जाट, निवासी शिश्यूं, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.) की ओर से वकील श्री दिनेश मंडीवाल द्वारा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) सीकर के आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।




जिला कलक्टर, सीकर

2. प्रार्थी द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया गया है :-

(1) प्रार्थी ने ग्राम शिशू में रा. रा. मार्ग-11 पर अवस्थित खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.2000 है. भूमि किस्म गैर मुमकिन आवादी में से दिनांक 10.10.2000 को 800 वर्गगज भूमि जारिये रजिस्ट्री कय की थी। इस भूमि के चारों ओर चारदीवारी व कच्चे मकान बने हुए हैं, जिसमें प्रार्थी के पशुधन के चारे व आवारा के काम आ रही है। प्रार्थी ने बाबत मुआवजे भुगतान आक्षेप राक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 11 सींगरा सीकर खण्ड सीकर को पेश किया था तथा उसमें न्यायपूर्वक मुआवजा भुगतान की मांग की थी। प्रार्थी की प्रार्थना पर राक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं कर दिनांक 23.01.2013 को अवार्ड आदेश पारित कर दिया जिसमें प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि का मुआवजा बाराणी किस्म से जारी किया है।

(2) प्रार्थी ने दिनांक 10.10.2000 को यह भूखण्ड खसरा नम्बर 2622/1 किस्म गैर मुमकिन आवादी रकबा 0.20 है. में से 800 वर्गगज अर्थात् 0.0669 है. भूमि को चन्दगी राम पुत्र तुलसाराग जाति बलाई निवासी जालिमपुरा पोस्ट भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनूं से कय किया था। जो आवासीय सम्परिवर्तित भूमि है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमावन्दी) में भी इसकी किस्म गै. मु. आवादी है। वर्तमान जमावन्दी सम्बत् 2070 से 2073 में प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हैं। इसमें से प्रार्थीगणों के हिस्से की 520 वर्गमीटर आवासीय भूमि अवाप्तिधीन है जबकि प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा बाराणी भूमि की दर 196.08 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से दिया गया है, जो गलत है। ग्राम शिशू में अन्य गै. मु. आवादी/संपरिवर्तित आवासीय भूमि का मुआवजा 1315.11 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से दिया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थीगणों का अवाप्तिधीन भूमि रकबा 520 वर्गमीटर का मुआवजा $520 \times 1315.11 = 683857.2$ रुपये तथा 10% समझौता राशि 68385.7 रुपये कुल मुआवजा राशि 752242.90 रुपये होता है। जबकि प्रार्थी को बाराणी भूमि की दर से 112158 रुपये का मुआवजा ही दिया गया है।

(3) अवाप्तिधीन भूमि में कच्चे मकान (पशुघर) बना हुआ है जिसके चारों ओर पुख्ता चारदीवारी है। जिसको सड़क निर्माण से पूर्व सर्वे के समय प्रार्थीगणों ने हटा लिया था तथा राशि डिजाइन सोल्युशंस प्रा. लि. जयपुर ने इसका माप व मूल्यांकन नहीं किया व प्रार्थी को इसके मुआवजे से वंचित रखा।

(4) रा.रा. प्राधिकरण से प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना नई 9 दिसम्बर, 2010 के द्वारा रा. रा. मार्ग 11 के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि अवाप्ति की सूचना जारी की गई जिसमें ग्राम शिशू के खसरा नम्बर 2622/1 में से 0.1550 है. भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित थी जिसमें से प्रार्थी की 520 वर्गमीटर आवासीय भूमि अवाप्तिधीन है जिसकी सन् 2000 से



[Handwritten Signature]
जिला कलक्टर सीकर

लेकर वर्तमान जमाबन्दी में किस्म गै. मु. आबादी दर्ज है, जबकि अवार्ड में भूमि का प्रकार निजी व प्रकृति कृषि दर्ज है, जो कि रिकॉर्ड व मौके के विपरीत है।
(5) NHA द्वारा प्रार्थीगणों को कभी भी इस संबंध में सूचित नहीं किया गया कि उसकी सम्पदा का किस प्रकार और कितना मुल्यांकन किया गया है। NHA द्वारा प्रेषित नोटिस में कहीं भी यह विदित नहीं किया गया कि कितनी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका मुल्यांकन क्या है और किस हिसाब से भुगतान किया जा रहा है।

(6) उक्त भूखण्ड पर बने कच्चे मकान व चारदीवारी के प्रतिकर की कीमत 1,50,000 रुपये, आवासीय भूमि की कीमत 7,52,242.90 रुपये, विक्रय लेख व अन्य खर्चा 1,00,000 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 1,00,000 रुपये कुल भूमि एवं संनिर्माणों की कीमत 11,02,243.00 रुपये मय ब्याज 9 दिसम्बर, 2010 से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से दिलाया जावे।

(7) प्रार्थी को अन्यत्र आवासीय भूखण्ड खरीदने के लिए वर्ष 2015 की आवासीय बाजार दर से कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि 10,000 रुपये प्रतिवर्गमीटर तक हो सकती है। भूमि के पंजीयन, बंटवारा, संपरिवर्तन, निर्माण, पानी का टैंक एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिये जाने वाली प्रतिकर भुगतान राशि से लागत राशि का अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ेगा। अतः प्रार्थी को रा. रा. अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3जी(7)(डी) के अन्तर्गत उपरोक्त क्षति होने वाली राशि का अतिरिक्त मुआवजा भुगतान करवाया जावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त आवासीय भूखण्ड का अनुतोष भुगतान कराया जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।


3. प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री कमलेन्द्र सिहाग उपस्थित आये व जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

4. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि:-

(i) प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का क्रय किया जाना अभिकथित किया है लेकिन ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को आवासीय संपरिवर्तनशुदा भूमि बताया गया है लेकिन ऐसा कोई भी संपरिवर्तन आदेश पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) मुआवजा अवार्ड आदेश दिनांक 23.01.2013 के अनुसार खसरा नम्बर 2622/1 में निर्माण की राशि के पेटे 1,36,103/-रुपये का भुगतान निश्चित किया गया




जिला कलेक्टर, सी.डी.

है, जो कि उक्त भूभाग में उपस्थित संरचनाओं के निर्माण की कीमत के आधार पर तय किया गया है।

- (iii) 3ए की अधिसूचना की तारीख को उक्त भूमि में से प्रार्थी के कथनानुसार 520 वर्गमीटर भूमि का खसरा नम्बर 2622/1 कुल रकबा 1356 वर्गमीटर की प्रकृति निजी अकृषि व धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.11.2011 के अनुसार उक्त भूमि 0.155 है. खसरा नम्बर 2622/1 निजी गैर मुमकिन आबादी बताकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का मुआवजा उक्त भूमि की प्रकृति के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया। किन्तु प्रार्थी सहखातेदार उक्त बारानी भूमि को जबरन मनमाने तरीके से बिना किसी दरस्तावेजी साक्ष्य के संपरिवर्तित आवासीय प्रयोजनार्थ की भूमि बताकर अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है।
- (iv) प्रार्थी के खसरा नम्बर 2622/1 के मुआवजा अवार्ड आदेश के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर में उपस्थित स्ट्रक्चर एवं संनिर्माण संरचनाओं का सही सर्वे किया गया था एवं सर्वे के अनुसार ही उक्त मुआवजा 1,36,103/- रुपये राशि निर्धारित की गई है।
- (v) प्रार्थी उक्त भूमि का संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी द्वारा आज तक अपनी भूमि का तकास्मा नहीं करवाया गया है न ही उक्त संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अपनी भूमि का सीमांकन निर्धारित करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जवाबदाता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रार्थी की कितनी भूमि अधिगृहित है, संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम अपने पक्ष में स्वयं की भूमि का स्पष्ट विभाजन एवं सीमांकन करवाया जाना आवश्यक है, इसके पश्चात ही प्रार्थी की भूमि का अलग से अधिगृहण की सूचना दी जा सकती है।
- (vi) 3ए की अधिसूचना के अन्तर्गत अवाप्तधीन भूमि पर बने भवन/मकान, निर्माण, कुएं, वृक्ष व अन्य स्ट्रेचर जिस रूप में स्थित हैं तथा पक्का/स्थाई का मूल्यांकन राशि निर्धारण करने के लिए वेल्युवर डिजाइन सोल्युशन को अधिकृत किया गया व हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर उपलब्ध करवाते हुए सुना गया और मौका भी दिखाया गया, जिसके पश्चात रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई।
- (vii) सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारों के हक में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) 7(A) के अनुसार उचित मूल्यांकन करते हुए अवार्ड जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
- (viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचना के उपरान्त 21 दिन का समय दिया गया। इसके बाद आपत्तियों का विधिपूर्वक निस्तारण कर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है एवं इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा हाईवे पर स्थित भूमि के रूपान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश एवं




जिला कलक्टर, सीकर

राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.02.2005 व 20.11.2004 के अनुसार व्यावसायिक भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर एवं औद्योगिक भूमि 100 मीटर छोड़कर ही रूपान्तरण किये जाने का प्रावधान है। इसके विरुद्ध यदि कोई रूपान्तरण किया भी गया हो तो वह विधि विरुद्ध होकर गैरकानूनी माना जाना चाहिए।

(ix) राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 3ए प्रकाशन की तारीख को प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी अंकित है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.155 है, जिसका की प्रार्थीगण सह खातेदारी है, को संपरिवर्तित आवासीय प्रकृति की बताकर अवाप्तशुदा भूमि की जबरन मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) 7(A) के अनुसार उचित मूल्यांकन करते हुए अवार्ड जारी किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।


5. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि प्रार्थी ने ग्राम शिश्युं में रा. रा. मार्ग-11 पर अवस्थित खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.2000 है, भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी में से दिनांक 10.10.2000 को 800 वर्गगज भूमि जरिये रजिस्ट्री कय की थी। इस भूमि के चारों ओर चादीवारी व कच्चे मकान बने हुए हैं, जिसमें प्रार्थी के पशुधन के चारे व आवास के काम आ रही है। प्रार्थी ने दिनांक 10.10.2000 को यह भूखण्ड खसरा नम्बर 2622/1 किस्म गैर मुमकिन आबादी रकबा 0.20 है, में से 800 वर्गगज अर्थात् 0.0669 है, भूमि को चन्दगी राम पुत्र तुलसाराम जाति बलाई निवासी जालिमपुरा पोस्ट भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनूं से कय किया था। जो आवासीय सम्परिवर्तित भूमि है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में भी इसकी किस्म गै. मु. आबादी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हैं। इसमें से प्रार्थीगणों के हिस्से की 520 वर्गमीटर आवासीय भूमि अवाप्तिधीन है जबकि प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा बारानी भूमि की दर 196.08 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से दिया गया है, जो गलत है। ग्राम शिश्युं में अन्य गै. मु. आबादी/संपरिवर्तित आवासीय भूमि का मुआवजा 1315.11 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से दिया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थीगणों का अवाप्तिधीन भूमि रकबा 520 वर्गमीटर का मुआवजा $520 \times 1351.11 = 683857.2$ रुपये तथा 10% समझौता राशि 68385.7 रुपये कुल मुआवजा राशि 752242.90 रुपये होता है। जबकि प्रार्थी को बारानी भूमि की दर से 112158 रुपये का मुआवजा ही दिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त आवासीय भूखण्ड का अनुतोष भुगतान कराया जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।



7. अप्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि का संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी द्वारा आज तक अपनी भूमि का तकास्मा नहीं करवाया गया है न ही उक्त संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अपनी भूमि का सीमांकन निर्धारित करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जवाबदाता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रार्थी की कितनी भूमि अधिगृहित है, संभव नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त सर्वे रिपोर्ट का विधिवत निरीक्षण कर समस्त आपत्तियों पर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात अवार्ड आदेश नियमानुसार पास किया गया है। इसलिए प्रार्थी आवासीय दर से मुआवजा पाने की हकदार नहीं है। अधिसूचना धारा 3ए के समय व पूर्व में भूमि जिस रूप में उपयोग व राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है, उसी के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है जो पूर्णतया सही और दुरुस्त है। अतः प्रा. पत्र माध्यस्थम् खारिज फरमाने का श्रम करें।
8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि:-
- (1) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को चौड़ा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 09.12.2010 को अधिसूचना जारी की गई। जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18.01.2011 को प्रकाशित की गई। इसके पश्चात 3-डी की अधिसूचना दिनांक 11.11.2011 के जारी की गई।
 - (2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत राजमार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवरण प्रकाशित किया जाता है। इसके तहत 21 दिन में आपत्तियों प्राप्त कर उनके निस्तारण का प्रावधान है, इसके पश्चात 3डी का निर्णय हो जाने पर 3जी के तहत अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।
 - (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 09.12.2010 को, धारा 3डी के तहत दिनांक 11.11.2011 को जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार याचिका में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2622/1 निजी बारानी वाकै ग्राम शिशू अवाप्त की गई है, जो संयुक्त खातेदारों के नाम से दर्ज है।
 - (4) प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम शिशू पटवार हल्का शिशू लैण्ड रिकॉर्ड हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर सम्वत् 2066 से 2069 एवं 2070




जिला कलक्टर, सीकर

से 2073 तक खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.2000 है. भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी संयुक्त खातेदारों के नाम दर्ज है।

- (5) प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.22 है. में से 0.20 है. भूमि का सम्परिवर्तन तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 16.09.2000 को किया गया है।
- (6) फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2000 के ग्राम शिश्यु पटवार हल्का शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमि संपरिवर्तन होने पर खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.20 है. गै. मु. आबादी भूमि में से 800 वर्गगज भूमि का बेचान विक्रयकर्त्ता चन्दगीराम पुत्र तुलसीराम, जाति बलाई निवासी जालिमपुरा पोस्ट भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनू द्वारा हीरालाल पुत्र लुणाराम, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लूणाराम को किया गया है।
- (7) भूमि खसरा नम्बर 2622/1 रकबा 0.20 है. भूमि में से विक्रय की गई 800 वर्गमीटर भूमि की न तो तरमीम करवाई गई है एवं न ही उक्त सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में अपनी भूमि का सीमाज्ञान निर्धारित करवाया गया है। अवार्ड आदेश दिनांक 23.01.2013 के अनुसार खसरा नम्बर 2622/1 की 1550 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है, ऐसी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि प्रार्थीगण की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
- (8) प्रकरण में अपीलान्त संख्या 1 फौत हो चुका है। उसके वैध वारिसों को संज्ञान में लाकर सुना जाना है।
9. अतः उपरोक्त पैरा 8 के बिन्दू संख्या 4,5,6,7 एवं 8 के मध्यनजर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्तस् को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई का मौका दे एवं उपलब्ध/प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक: 20 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

(नरेश कुमार ठकराल)

जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर